न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,उन्नाव।

सत्र परीक्षण संख्या–335/2018,

राज्य बनाम अरूण कुमार ।

आरोप

मैं,गुलाब सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,उन्नाव

आप– अरूण कुमार

को निम्न आरोप से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः– यह कि दिनांक–17–2–2016 को परिवादी गोविन्द्र प्रसाद की पुत्री सारिका की शादी आप अरूण कुमार से हुयी थी और शादी के बाद से ही आप अपने अन्य परिवारीजन के साथ मिलकर परिवादी की पुत्री सारिका से 20 लाख रूपये अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया । इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0वि0 की धारा–498ए के अन्तर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

द्वितीयः– यह कि दिनांक–9–10–2017 को समय 6.30 बजे सांय के पूर्व आपने अपने अन्य परिवारीजनो के साथ मिलकर बहद ग्राम फाजिलपुर थाना–सफीपुर जिला–उन्नाव में परिवादी गोविन्द प्रसाद की पुत्री सारिका को उसकी शादी के सात वर्ष के भीतर 20 लाख रूपये अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण उसकी मारपीटकर गला दबाकर हत्या करके उसकी अप्राकृतिक मृत्यु कारित की । इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0वि0 की धारा–304बी के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

तृतीय :– यह कि दिनांक–17–2–2016 को परिवादी गोविन्द्र प्रसाद की पुत्री सारिका की शादी आप अरूण कुमार से हुयी थी और शादी के बाद से ही आप अपने अन्य परिवारीजन के साथ मिलकर परिवादी की पुत्री सारिका से 20 लाख रूपये अतिरिक्त दहेज की मांग सारिका से किया । इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा–3/4 के अन्तर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

वैकल्पिक आरोप

यह कि दिनांक–9–10–2017 को समय 6.30 बजे सांय के पूर्व आपने

अपने अन्य परिवारीजनो के साथ मिलकर बहद ग्राम फाजिलपुर थाना–सफीपुर जिला–उन्नाव में आपने परिवादी गोविन्द प्रसाद की पुत्री सारिका की हत्या कारित की । इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0वि0 की धारा–302 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

एतद्व द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपो के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–28–11–2018,

(गुलाब सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
उन्नाव।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये । जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया एवं परीक्षण की मॉग की।

दिनांक–28–11–2018,

(गुलाब सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
उन्नाव।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,उन्नाव।

सत्र परीक्षण संख्या–335/2018,

राज्य बनाम अरूण कुमार ।

दिनांक–28–11–2018:–

पुकारा गया।

अभियुक्त अरूण कुमार जेर हिरासत उपस्थित आया ।

विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौ0) की ओर से अभियुक्त के विरूद्व क्या–क्या साक्ष्य है तथा किस आधार पर आरोप सृजित होता है, तर्क प्रस्तुत किया गया ।

अभियुक्त एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन उपरान्त अभियुक्त अरूण कुमार के विरूद्ध धारा–498ए,304बी, व 302 भा0दं0वि0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोपो को लगाये जाने हेतु आधार पर्याप्त् पाया जाता है।

अतः अभियुक्त अरूण कुमार को उक्त आरोपो से आरोपित किया गया। अभियुक्त ने आरोपो से इंकार किया तथा परीक्षण चाहा । पत्रावली वास्तें साक्ष्य दिनांक–7–12–2018 तिथि नियत की जाती है । साक्षी तलब हो ।

दिनांक–28–11–2018, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
उन्नाव।